

## प्रपत्र II

पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड  
(पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)  
बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,  
नई दिल्ली-110016  
सूचना

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के तहत)

1. पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 में है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित है, ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के तहत पारेषण लाइनों, सब-स्टेशनों और अन्य परिसंपत्तियों, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, के संबंध में, पारेषण लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक आवेदन किया है:-

क्रमांक	पारेषण परिसंपत्तियों का नाम और स्थान	लाइन की लंबाई/क्षमता	पूरा होने का अनुमान लागत	कमीशनिंग शेड्यूल (अनुसूची सीओडी)	टिप्पणियाँ
1.	• आरई इंटरकनेक्शन के लिए नीमच में 220 केवी बे का निर्माण [एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (2200000709) 300 मेगावाट के लिए]	220 केवी बे - 1	₹ 5.57 करोड़	31.01.2026	विनियमित टैरिफ तंत्र के तहत कार्यान्वित किया जाना है

2. आयोग के समक्ष दायर पूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट [www.powergrid.in/subsidiaries](http://www.powergrid.in/subsidiaries) पर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के कार्यालय ईडी (टीबीसीबी), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर -29, गुड़गांव 122001 में व श्री प्रफूल कुमार, परियोजना प्रभारी, पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड के साथ भी किया जा सकता है या आयोग के कार्यालय में आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है।

3. कोई आपत्ति या सुझाव, यदि हो, तो इसे सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, 6वीं, 7वीं और 8वीं मंजिल, टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029 के समक्ष दायर किया जा सकता है, जिसकी एक प्रति आपत्ति/सुझाव आवेदक या उसके अधिकृत एजेंट को, इस सूचना के अखबार में प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर भेजी जाए।

परियोजना प्रभारी,  
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

जगह: उज्जैन  
तारीख: